



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 सितंबर 2025

**भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)**

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार जारी करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (अक्तूबर-दिसंबर 2025)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
01 अक्तूबर 2025	03 अक्तूबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
08 अक्तूबर 2025	09 अक्तूबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
15 अक्तूबर 2025	16 अक्तूबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
23 अक्तूबर 2025	24 अक्तूबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
29 अक्तूबर 2025	30 अक्तूबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
06 नवंबर 2025	07 नवंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
12 नवंबर 2025	13 नवंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
19 नवंबर 2025	20 नवंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
26 नवंबर 2025	27 नवंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
03 दिसंबर 2025	04 दिसंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
10 दिसंबर 2025	11 दिसंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
17 दिसंबर 2025	18 दिसंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
24 दिसंबर 2025	26 दिसंबर 2025	7,000	6,000	6,000	19,000
कुल		91,000	78,000	78,000	2,47,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया

जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [26 मार्च 2025 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4\(2\)-बी\(डब्ल्यू एंड एम\)/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1184

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक